भारत में स्त्री षिक्षा का वर्तमान स्वरूप

डॉ. जनक सिंह मीना
महासचिव व कोषाध्यक्ष
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेषन सोसायटी ऑफ इण्डिया
एवं सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
जय नारायण व्यास विष्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

किसी देष का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की षिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ एवं सहभागितापूर्ण है। फ्रांस की क्रान्ति के नेता दांते का कथन है– 'रोटी के बाद षिक्षा जीवन में सबसे मूल्यवान है, रोटी जैविक जीवन के लिए और षिक्षा सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन के लिए अनिवार्य है।' षिक्षा ज्ञान और संस्कार दोनों का प्रहरी है। ''सा विद्या या विमुक्तये'' अर्थात् षिक्षा अज्ञान और दमन से मुक्ति प्रदान करती है। महात्मा गाँधी ने कहा था– 'षिक्षा चेतना के विकास और समाज के पुनर्गठन का बुनियादी साधन है।' षिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है। षिक्षा से ही मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास होता है। षिक्षा व्यक्ति की उन्नति और राष्ट्र के उत्थान की पहली शर्त है। देष के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव ने कहा–'षिक्षा को सामाजिक गतिषीलता और विकास में एक प्रेरक शक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए।' पूर्व केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा था कि 'साक्षरता से महिलाओं और कमजोर वर्गों को समर्थ बनाया जा सकता है।'

वेदों में नारी की षिक्षा, शील, गुण, कर्त्तव्य और अधिकारों का विषद वर्णन मिलता है। इस काल में भारतवर्ष में समाज में स्त्रियों को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों के लिए षिक्षा–दीक्षा का उत्तम प्रबंध था जिससे वे प्रत्येक क्षेत्र यथा राजनीतिक, प्रषासनिक, सामाजिक–आर्थिक आदि में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती थी। स्त्री को ज्ञान–विज्ञान में निपुण होने के कारण ब्रह्मा बताया गया है। वेदों में कहा गया है–''गृहिणी ही गृह है, सुषील पत्नी गृहलक्ष्मी है, नारी कुलपालक है, नारी कुटुंब की पालक है, नारी परिवार की स्वामिनी है, नारी समाज में अग्रणी है, स्त्री अबला नहीं सबला है, नारी सरस्वती के तुल्य प्रतिष्ठित है तथा नारी शील, राष्ट्रीय रक्षा तथा कर्त्तव्य की खान है। ''मनुस्मृति में कहा गया है कि 'जो अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं, वे स्त्रियों का सदा सम्मान करें। साथ ही नारी के लिए निम्न श्लोक भी है जो इस प्रकार है–

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैवास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तजाफलाः क्रिया।।[1]

अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। जहाँ इनका आदर नहीं होता या इनका अपमान होता है, वहाँ सारे धर्म–कर्म निष्फल हो जाते हैं।

नारी षिक्षाः एक परिचय

नारी षिक्षा के परिदृष्य से पूर्व हमने षिक्षा की आवष्यकता, महत्त्वता, उपादेयता एवं प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए नारी के महत्त्व और भूमिका पर संक्षिप्त प्रकाष डाला है। ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में देखते हैं तो वैदिक काल में स्त्री और पुरूष दोनों को ही षिक्षा का अधिकार समान रूप से प्राप्त था। इस काल में विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना भी की थी। यजुर्वेद (36–2) में कहा गया है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का पूरा अधिकार था। ऋग्वेद (2–19–17) में कहा गया है कि स्त्रियों पर ही जीवन आधारित है और वे षिक्षा प्रदान करती हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में भी स्त्री षिक्षा का समर्थन किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने स्त्री षिक्षा के महत्त्व को इंगित करते हुए कहा था कि 'वही देष उन्नति कर सकते हैं, जहाँ स्त्रियों को उचित स्थान दिया जाता है तथा उनकी षिक्षा का भी उचित प्रबंध किया जाता है।'[3]

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रही। समय के साथ इसमें उतार–चढ़ाव आते रहे और उसी के अनुरूप उसके अधिकारों में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों पर निर्योग्यताओं का आरोपण किया गया और निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। स्त्रियों की स्वतंत्रताओं और उन्मुक्तताओं पर अनेक प्रकार के अंकुष लगाए जाने लगे। मध्यकाल में इनकी स्थिति और भी दयनीय हो गयी थी। पर्दा प्रथा, कठोर एकान्त नियमों ने उसे समेट कर रख दिया और षिक्षा के लिए कोई स्थान नहीं रहा। विदेषियों के भारत में आगमन से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आयी। अषिक्षा और रूढ़ियों में महिलाएँ जकड़ती चली गयी। स्त्रियां घर की चार दीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला, रमणी और भोग्या बनकर रह गई।

पुनर्जागरण के दौर में भारत में स्त्री षिक्षा को नये सिरे से महत्व मिलना प्रारंभ हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1854 में स्त्री षिक्षा को स्वीकारा जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से साक्षरता दर 0.2 प्रतिषत से बढ़कर 6 प्रतिषत तक पहुँच गई थी। कलकत्ता विष्वविद्यालय महिला षिक्षा के लिए पहला विष्वविद्यालय था। विष्वविद्यालय आयोग 1948–49 ने स्त्री षिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि 'स्त्री षिक्षा के बिना लोग षिक्षित नहीं हो सकते। यदि षिक्षा को पुरूषों अथवा स्त्रियों के लिए सीमित करने का प्रष्न हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को षिक्षा दी जा सकती है।' षिक्षा आयोग 1964–66 द्वारा उदृत किया गया कि–'स्त्रियों की षिक्षा पुरूषों की षिक्षा से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। लड़कियों की षिक्षा पर जितना भी जोर दिया जाए, उनता ही थोड़ा है।' इस आयोग ने स्त्रियों की षिक्षा पर बल देते हुए निम्नलिखित कारण बताए–(1) स्त्री षिक्षा का हमारे मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है, (2) स्त्री षिक्षा से घरों का सुधार होता है, (3) स्त्रियों की षिक्षा का शैषव के सर्वाधिक संस्कारमय वर्षों में चरित्र के निर्माण में अपना विषेष स्थान है, (4) स्त्रियों की षिक्षा प्रसवन–दर को घटाने में काफी सहायता कर सकती है, (5) घर की चारदीवारी के बाहर स्त्रियों का कार्य आज देष के सामाजिक–आर्थिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है।

भारत में आजादी से पूर्व स्त्री षिक्षा

भारतीय परिपेक्ष्य में नामांकन की दृष्टि से जब स्त्री षिक्षा की बात स्वतंत्रता से पूर्व के काल में करते हैं तो पाते हैं कि लड़कियों का नामांकन केवल 6 प्रतिषत था जो एक चिंतनीय विषय था। एक दृष्टि हम आंकड़ों पर डाले तो सारणी संख्या 1 में निम्नानुसार स्थिति देखी जा सकती है–

वर्ष	स्त्री षिक्षा का प्रतिषत	प्राथमिक स्कूल नामांकन	उच्च प्रा. नामांकन	माध्यमिक विद्यालय	कॉलेज/ विष्वविद्यालय	अन्य संस्थाओं में नामांकन	कुल
1881–82	0.2	124481	–	2054	06	515	127066
1901–02	0.7	345397	34386	10309	264	2812	393168
1921–22	1.8	1198550	92466	36698	1529	11599	1340842
1946–47	6.0	3475165	321508	280772	23207	56090	4156742

सारणी संख्या–1

भारत में महिला षिक्षा की दशा

भारत में महिला षिक्षा के लिए राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रषासन व्यवस्था एवं केन्द्रीय सरकार ने अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से न केवल महिला साक्षरता को उठाने के प्रयास किए हैं अपितु बीच में विद्यालय छोड़कर जाने वालों को रोकने की दिषा में प्रयास होते रहे हैं। वर्तमान में षिक्षा के क्षेत्र में न केवल सरकारी विद्यालय एवं संस्थाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं बल्कि गैर सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, विष्वविद्यालय, शोध संस्थाएं भी पीछे नहीं हैं। साक्षरता की दर का आकलन करने हेतु सारणी संख्या–2 में निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है–

भारत में साक्षरता दर[4]

वर्ष	साक्षरता प्रतिषत	पुरूष साक्षरता प्रतिषत	महिला साक्षरता प्रतिषत
1901	5.3	9.8	0.7
1911	5.9	10.6	1.1
1921	7.2	12.2	1.8
1931	9.5	15.6	2.9
1941	16.1	24.9	7.3
1951	16.7	24.9	7.3
1961	24.0	34.4	13.0
1971	29.5	39.5	18.7
1981	36.2	46.9	24.8
1991	52.1	63.9	39.2
2001	65.38	76.0	54.0
2011	74.04	82.14	65.46

(स्त्रोतः भारत की जनगणना 2011)
सारणी संख्या–2

उक्त सारणी में दिए गए आंकड़े महिलाओं में साक्षरता की दयनीय स्थिति को बयान करने के लिए पर्याप्त हैं। वर्ष 1901 से 2011 तक की जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला साक्षरता दर प्रत्येक जनगणना में पुरूष साक्षरता दर की तुलना में काफी कम रही है। यह भी स्पष्ट है कि देष की औसत साक्षरता दर से भी महिला साक्षरता दर सदैव पीछे रही है जिसका अन्तर भी बड़ा रहा है। वर्तमान 2011 की जनगणना में जहाँ औसत साक्षरता दर 74.04 है, वहीं पुरूष साक्षरता 82.14 रही है, जबकि महिला साक्षरता दर 65.46 रही है जो इन दोनों से काफी नीची है। इसी प्रकार देष में राज्यवार साक्षरता की चर्चा करते हैं तो वहाँ भी कुछ को छोड़कर महिला साक्षरता दर कोई विषेष अच्छी

नहीं कही जा सकती। इस हेतु क्षेत्र की पारिस्थितिकी, संसाधन, रितिरिवाज, प्रथाएँ, मान्यताएँ, धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक दषाएँ जिम्मेदार रही हैं। सरकारों की उदासीनता एवं लूट नीति, प्रषासन में क्रियान्वयन की इच्छा शक्ति का अभाव तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना की कमी होने से ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हो पाये हैं। देष के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रषासित प्रदेषों में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता को सारणी संख्या–3 में दर्षाया गया है–

राज्यवार महिला साक्षरता प्रतिषत

क्र.सं.	राज्य का नाम	महिला साक्षरता प्रतिषत
1	आंध्र प्रदेष	59.7
2	अरूणाचल प्रदेष	59.6
3	असम	67.3
4	बिहार	53.3
5	छत्तीसगढ़	60.6
6	दिल्ली	80.9
7	गोवा	81.8
8	गुजरात	70.7
9	हरियाणा	66.8
10	हिमाचल प्रदेष	76.6
11	जम्मू एंव काष्मीर	58.0
12	झारखण्ड़	56.2
13	कर्नाटक	68.1
14	केरल	92.0
15	मध्य प्रदेष	60.0
16	महाराष्ट्र	75.5
17	मणिपुर	73.2
18	मेघालय	73.8
19	मिजोरम	89.4
20	नागालैण्ड	76.7
21	उड़ीसा	64.4
22	पंजाब	71.3
23	राजस्थान	52.7
24	सिक्किम	76.4
25	तमिलनाडू	73.9
26	त्रिपुरा	83.1
27	उत्तरप्रदेष	59.3
28	उत्तराखण्ड़	70.7
29	पश्चिमी बंगाल	71.2
	केन्द्रषासित प्रदेष	
1	अण्डमान एवं निकोबार	81.8
2	चण्डीगढ़	81.4
3	दादर एवं नगर हवेली	65.9
4	दमन एवं दीव	79.6
5	लक्ष्यद्वीप	88.2
6	पाण्डिचेरी	81.2
	भारत	65.46

(स्त्रोत–भारत की जनगणना–2011)

सारणी संख्या–3

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता का प्रतिषत 52.7 प्रतिषत है जबकि बिहार में 53.3 प्रतिषत है। राज्यों में सर्वाधिक महिला साक्षरता का प्रतिषत केरल में 92 प्रतिषत, मिजोरम में 89.4 प्रतिषत एवं त्रिपुरा में 83.1 प्रतिषत है। वहीं केन्द्र शासित प्रदेषों में 65.9 प्रतिषत, दादर एवं नगर हवेली में सबसे न्यूनतम है जबकि लक्षद्वीप 88.2 प्रतिषत के साथ सर्वाधिक है। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ महिला साक्षरता का प्रतिषत भारत में कुल महिला साक्षरता के प्रतिषत 65.46 से भी कम है।

भारत में 7 वर्ष तक आयु में साक्षरता पर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि पुरूष साक्षरता 75.3 प्रतिषत है जबकि महिला साक्षरता 53.7 प्रतिषत है जबकि कुल साक्षरता 64.8 प्रतिषत है। 15 वर्ष तक आयु में साक्षरता का प्रतिषत है– पुरूष साक्षरता 73.4 प्रतिषत, महिला साक्षरता 47.8 प्रतिषत जबकि औसत साक्षरता 61.0 प्रतिषत है।

महिलाओं की उच्च षिक्षा में भागीदारी

देष में आजादी के बाद षिक्षा को बेहतर बनाने की दिषा में अनेक कदम उठाए गए हैं। आज जो षिक्षा की स्थिति है वह किसी उत्परिवर्तन का परिणाम नहीं है अपितु सतत् प्रयासों का प्रतिफल है। देष में प्रारंभिक षिक्षा की दषा सुधारने के प्रयास निरन्तर होते रहे हैं और आज भी जारी हैं परन्तु बीच में स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों को रोकने में उतने सफल नहीं रहे हैं जितनी अपेक्षाएँ थी। इसके लिए जहाँ विद्यालय बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहाँ उसकी मूल जड़ में जाकर वास्तविक कारणों को खोजकर उस दिषा में व्यावहारिक कदम उठाने की आवष्यकता है। विद्यालय बीच में छोड़कर जाने वालों में बालकों की बजाए बालिकाओं की संख्या अधिक रही है जिसके पीछे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारण रहे हैं। हमारा लक्ष्य महिला और पुरूषों को षिक्षा के संदर्भ में एक स्तर पर लाना रहा है और इस हेतु महिलाओं की प्रारंभिक, मिडिल, सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी की षिक्षा को उच्च षिक्षा में बदलने के प्रयास रहे हैं परन्तु अपेक्षित परिणाम शेष हैं। इस हेतु सरकारी, गैर–सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं अनेक प्रकार के कदम उठा रही हैं जैसे बालिकाओं को साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के कार्यक्रम चल रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण, ट्यूषन फीस से मुक्ति, छात्रवृत्तियाँ, आवासीय सुविधाएँ, प्रसूति अवकाष आदि सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। आज किसी भी स्तर पर देखते हैं तो प्रत्येक स्तर पर महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है। जब हम मात्रात्मक (संख्या) के रूप में देखते हैं तो महिलाएँ पीछे नजर आती हैं परन्तु जब गुणात्मक रूप से देखते हैं तो लगभग हरेक क्षेत्र में महिलाएँ आगे दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए जब किसी बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची देखते हैं तो लड़कियों की संख्या अधिक होती है। अब उच्च षिक्षा में भी गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में लड़कियां अधिक देखने को मिल रही हैं। महिलाओं की उच्च षिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन की स्थिति को निम्न सारणी संख्या–4 में देखा जा सकता है–

विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन 2014–15[6]

पाठ्यक्रम	पुरूष नामांकन प्रतिषत	महिला नामांकन प्रतिषत	योग प्रतिषत
बैचलर ऑफ आर्ट्स	24.60	32.96	28.44
बैचलर ऑफ साइन्स	11.44	12.22	11.80
बैचलर ऑफ कॉमर्स	10.96	10.77	10.87

बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी	8.68	3.78	6.43
बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग	7.61	3.57	5.75
मास्टर ऑफ आर्ट्स	3.27	5.36	4.23
बी.ए. (ऑनर्स)	3.31	4.23	3.73
बैचलर ऑफ एज्यूकेषन	1.37	2.85	2.05
मास्टर ऑफ साइन्स	1.33	2.15	1.70
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेषन	1.89	1.28	1.61
बैचलर ऑफ कम्प्यूटर साइन्स	1.53	1.25	1.40
बी.एससी. (ऑनर्स)	1.37	1.25	1.32
बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेषन	1.28	0.91	1.11
मास्टर ऑफ कॉमर्स	0.84	1.33	1.07
बैचलर ऑफ लॉ	1.05	0.54	0.82
अन्य	19.47	15.55	17.67

(स्त्रोत– वेबसाइट रुीजजचरूध्ध्उीतकण्हवअण्पदध्जंतजे)
सारणी संख्या–4

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि अब लड़कियां भी नामांकन में लड़कों से पीछे नहीं हैं। कुछ पाठ्यक्रमों में लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं जैसे–बी.ए., बी.एससी., एम.ए., बी.ए. (ऑनर्स), बी.एड., एम.एससी., एम.कॉम. आदि जबकि कुछ पाठ्यक्रमों में तुलनात्मक नामांकन कम है जिनमें हैं– बी.कॉम (लगभग बराबर), बी.टेक., बी.ई., एम.बी.ए., बी.सी.ए., बी. एससी. (ऑनर्स), बीबीए, एल.एल.बी. आदि।

मानव जाति की प्रगति का इतिहास षिक्षा के इतिहास की नींव पर लिखा गया है। अतः यह आवष्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह पुरूष हो अथवा स्त्री–षिक्षित होना चाहिए। स्त्रियों को भी पुरूषों की भांति ही षिक्षा मिलनी चाहिए, अन्यथा सही अर्थों में न तो शांति हो सकती है और न ही प्रगति ही। यह निर्विवाद सत्य है कि महिला सषक्तिकरण का एकमेव उपाय षिक्षा है। क्योंकि षिक्षा व्यक्ति के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवष्यकता है। षिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृत एवं संवेदनषील बनाती है जिससे राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। षिक्षा के द्वारा हम अपने लोकतंत्रीय लक्ष्यों, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता को प्राप्त कर सकते हैं जिससे वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान में स्त्री षिक्षा की दषा सकारात्मक है और षिक्षा अर्जन कर वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हुई है। स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं और प्रषासनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रों में भी लम्बी छलांग लगायी हैं। षिक्षा ने महिलाओं में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया है जिससे उनका मनोबल बढ़ा है और उनकी नेतृत्व क्षमता एवं निर्णय शक्ति में वृद्धि हुई है। अब स्त्रियाँ आत्मनिर्भर होकर अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के साथ आगे बढ़ रही हैं, चाहे षिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, वाणिज्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र रहा हो चाहे लेखन, अभिनय, राष्ट्र का नेतृत्व (राजनीतिक, प्रषासनिक) क्षेत्र रहा हो। स्त्री दिषा को एक दिषा प्राप्त हुई है जिससे अब वह अपने लक्ष्यों एवं उद्देष्यों को पहचान कर, समझकर आगे बढ़ने का निरन्तर प्रयास कर रही है। अवरोध, बाधाएं, समस्याएं एवं चुनौतियाँ अनेक हैं परन्तु स्त्रियाँ उन सबको चीरते हुए निरंतर आगे बढ़ने में प्रयासरत हैं। यह सब षिक्षा से ही संभव हो पा रहा है।

संदर्भ सूची

1. ऋग्वेद 3–53, 10, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से लिया गया है।
2. मनुस्मृति 3–56
3. जे.सी. अग्रवाल, भारत में नारी षिक्षा, विद्या विहार, नई दिल्ली, 2001 पृ.11
4. भारत की जनगणना 2011, भारत सरकार
5. उपरोक्त
6.**Website :http://mhrd.gov.in/starts**